



2026:AHC:7008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19336 वर्ष 2025

दीपक पंवार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

दिव्या ज्योति, श्याम शरण श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें (a) रिट याचिका के लिए प्रतिवादी संख्या 3 (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) द्वारा पारित दिनांक 06/12/2024 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करते हुए, उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करना है; (b) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, प्रतिवादी प्राधिकारी गणों को कंपनी कमांडर के पद पर याचिकाकर्ता की सेवाओं को बहाल करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का निर्देश देना, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में निरंतर व्यवहार करना और याचिकाकर्ता के नियमित वेतन का भुगतान करना, माह दर माह जब यह देय हो जाता है; (

c) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, प्रतिवादी गणों को आदेश देना, याचिकाकर्ता की सेवाओं में बहाली के लिए उसके दावे पर पुनर्विचार करने के लिए; (d) याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझता है, ताकि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके या अन्यथा, याचिकाकर्ता को अपूरणीय रूप से नुकसान होगा; (e) नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत प्रदान करना।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

जनवरी 12, 2026

राजेश